फर्द अहकाम

गोदी देवी बनाम तहसीलदार

म न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

स संख्या 45/2023 (ही. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	24/7/25	28 गया है तथा उपरोक्त वर्णित अंकन सख्तनक्श अंकित हो गया है। जो मानवीय त्रुटि होने के संशोधनीय है अतः प्रा. पत्रा स्वीकार किया जाकर अपेक्षित संशोधन की अनुमति का आदेश पारित फरमाया जावे। अधिवक्ता अनावेदी प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा मात्र कब्जे वाहत / प्रतिकूल कब्जे वाहत की अवधारणा के आधार मात्र पर वाद मय प्रार्थनापत्र ली. आई. प्रस्तुत किया गया है। जिसे अनावेदी अपेक्षित अनुतोष न्यायालय द्वारा प्रदत्त नहीं किया जा सकता है। जिसके प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनावेदी अपेक्षित अनुतोष / संशोधन का कोई औचित्य ही नहीं है। प्रार्थी द्वारा मात्र प्रकरण मय प्रार्थनापत्र ली. आई. के निस्तारण की कार्यवाही को विलम्बित किए जाने के उद्देश्य से हस्तगत प्रा. पत्र प्रस्तुत किया गया है जो पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाया जावे तथा प्रार्थनापत्र ली. आई. की अग्राह्यता सिद्ध नहीं होने से प्रा. पत्रा ली. आई. खारिज फरमाया जावे। हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी। पत्रावली वास्ते उचित आदेश दिनांक 11/08/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

गोदी देवी बनाम तहसीलदार

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

संख्या 45/2023 (ही. आई.)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11/8/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र धारक ली. व बहस प्रार्थनापत्र ली. आई. के तथ्यों पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अभियोगी द्वारा प्रस्तुत वाद कब्जा वाहत के आधार पर खातेदारी प्रदत्त किए जाने से संबंधित है। जो मूलवाद में निर्णित प्रक्रिया के उपरान्त वाद के अंतिम निर्णय का विषय है जिससे प्रस्तुत हस्तगत प्रा. पत्रा बाबत सख्तनक्श छूट हुए कथन को समाहित किए जाने (प्रा. पत्रा ली. आई.) व सख्तनक्श हद अंकन को दुरुस्त किए जाने का विषय मूलवाद के तथ्यों के अधीन विषय स्पष्ट प्रतीत है चूंकि प्रस्तुत तथ्यों अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण (प्रा. पत्रा ली. आई.) सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति की प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत / सिद्ध नहीं होती है। तथा संशोधन के संबंध में अपेक्षित अनुतोष की मूलवाद के अधीन (मूसरम्मत के) ही विषय प्रतीत है। जिससे प्रकरण का उचित निर्णय तथ्यों, प्रावधानों व साक्ष्यों की पत्रावली के अधीन किया जाना न्यायोचित समझते हैं तथा प्रस्तुत प्रा. पत्रा (संशोधन) का अनुतोष पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है तथा साथ ही प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से प्रार्थनापत्र ली. आई. खारिज किया जाता है। सुनाया गया	P.T.O.

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.29 14:58:37 IST
Reason: SelfAttested